न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 248 / 2005

1–रेवन्तराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादी

बनाम

1– मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल।
2– रामचन्द्र पुत्र दयालराम जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल।
3– रेखाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी गुगरियाली तहसील जायल।
4– हरिराम पुत्र दयालराम जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल।
5– तेजाराम पुत्र दयालराम जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल।
6– मांगीलाल पुत्र सुखदेव जाति विश्नोई निवासी रेण (डारा की ढाणी) तहसील मेडतासिटी जिला नागौर।
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान कश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता–
1 श्री हनुमानराम मण्डा वादी की और से।
2 श्री रामनारायण चौधरी प्रतिवादी सं. 02,04,05 की और से।
3 श्री बस्तीराम ढाका प्रतिवादी सं. 4 की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक

वाद वादीगण संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा अजबपुरा के खेत खसरा नम्बर 9 / 1 रकबा 64 बीघा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 17 बीघा 05 विस्वा,

7.4.18

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 56/1 रकबा 33 बीघा व खसरा नम्बर 56 रकबा 48 बीघा 02 बिस्वा वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 02, व 04 के पुश्तेनी बडेर के खेताय है। हमारे दादा स्वर्गीय दयालराम जी का परिवार बडा होने से अन्य सरकारी सुख सुविधाऐ नही मिलने के कारण दादा ने बिना भौत्तिक विभाजन के अलग अलग खातेदारी दर्ज करवायी जब कि दयालरामजी के वारिशान ने अपने सुविधानुसार जुवानी पारिवारिक बंटवारा कर सीवों निवों सहित अलग–अलग काबिज होकर के बाद रेकार्ड में माफिक पारिवारिक बंटवारा नहीं होने से दावा पेश करना लाजमी हो गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1,2 व 4 ने अपनी पुस्तैनी बडेर के खेताय को भौत्तिक बंटवारा जुवानी तोर पर संवत् 2056 को आखातीज को वाद के पैरा संख्या 3 के (क,ख,ग) के अनुसार कर लिया था। परन्तु उक्त बंटवारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से वादी को यह वाद न्यायालय हाजा में पेश करना लाजमी हो गया है। वादी ने यह वाद पेश कर वाद पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित बंटवारा स्कीम अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर डिकी किये जाने का निवेदन किया ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं0 01, 03, 06 व 07 बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 02, 04 व 05 की और से अधिवक्ता श्री रामनारायण चौधरी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर ईकबाली जवाब पेश किया। वकील बस्तीराम ढाका ने प्रतिवादी सं. 04 हरीराम की और से एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस की विधिवत सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र को खारीज किया गया।

पक्षकारों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने व ईकबाली जाबब पेश करने के कारण प्रकरण में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ता वकील वादी व प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित बंटवारा स्कीम अनुसार अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिकी किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावाली के अवलोकन से स्वष्ठ हुआ की वादी ने वाद में अंकित खेतायों को अपने दादा श्री दयालराम की बताकर बडेर की भूमियां बताकर दावा पेश किया गया है जब कि पत्रावली में दयालराम के नाम की भूमियां होने के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है तथा मौजा अजबपुरा के खेत खसरा नम्बर 9/1, 51, 56/1 व 56 में वादी का जमाबन्दियां सम्वत् 2058 से 2061 में भी बतौर खातेदार नाम भी नहीं है। इस से साबित होता है कि यह

9.4.18

Scanned by CamScanner

भूमियां बडेर की भूमियां नहीं है। वाद का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ठ हुआ कि वाद के पेरा सं. 03 (क,ख,ग,) जो बंटवारा स्कीम बतायी गयी है उस में काफी काट छांट की गयी है जिस से सही स्पष्ट भी नहीं होता है कि वादी व प्रतिवादीगण को कितना–कितना हिस्सा दिया जावे।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से साबित होता है कि वादी के वाद में अंकित भूमियां बडैर की भूमियां नहीं है तथा बंटवारा स्कीम में काट छांट होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

9.4.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 09.04.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.4.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned by CamScanner